

AH-1326 CV-19
BBA (Part-III)
Term End Examination 2019-20

Group – C
Paper – I
Business Law

Time : Three Hours]

[Maximum Marks : 75

नोट : सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।

Note : Answer all questions. All questions carry equal marks.

इकाई-1 / Unit-I

1. कंपनी क्या है? इसके उद्देश्यों का वर्णन कीजिए।
What is a company ? Describe its objectives.

अथवा / OR

साझेदारी से आपका क्या आशय है? साझेदारी की अनिवार्य तत्वों सहित व्याख्या कीजिए।
Define partnership. What are essential element of partnership.

इकाई-2 / Unit-II

2. विनिमय साध्य विलेखों की परिभाषा दीजिए। विनिमय साध्य विलेखों से संबंधित कानूनी मान्यताएं बताइए।
Define negotiable instrument. State the presumptions as to negotiable instrument.

अथवा / OR

'व्यर्थ ठहराव' क्या है? संक्षेप में उन ठहरावों का वर्णन कीजिए जिन्हें भारतीय अनुबंध अधिनियम में स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित किया गया है।

What is 'void agreement' ? Briefly state the various agreements which are expressly declared to be void by the Indian contract Act.

इकाई-3 / Unit-III

3. निक्षेप क्या है? निक्षेपित माल के सम्बन्ध में निक्षेपगृहीता के अधिकार एवं कर्तव्यों का व्याख्या कीजिए।
What is bailment ? Explain the right and duties of a bailee in respect of goods bails.

अथवा / OR

क्या एक माल का अदत्त विक्रेता, जिसके अधिकार में माल है, माल के अधिकार को रोककर रखने का अधिकारी है? यदि है, तो किन परिस्थितियों में? कब वह माल के ऊपर ग्रहणाधिकार को खो देता है?

Is an unpaid seller of goods. Who is in possession of them entitled to retain possession ? If so, under what circumstances ? When does he lose claim over them ?

इकाई-4 / Unit-IV

4. प्रत्याभूति अनुबंध की परिभाषा दीजिए तथा हानिरक्षा और प्रत्याभूति के अनुबंध में अंतर बताइये।
Define a contract of guarantee and distinguish between a contract of indemnity and guarantee.

अथवा / OR

गिरवी, निक्षेप व ग्रहणाधिकार में अंतर बताओ।

Show the difference between pledge, bailment and lien.

इकाई-5 / Unit-V

5. एजेंसी की परिभाषा दीजिए और एजेंट के अपने नियोक्ता के प्रति अधिकार एवं कर्तव्य समझाइए।
Define agency and explain the rights and duties of an agent towards his principal.

अथवा / OR

नियोक्ता अपने एजेंट के अनाधिकृत कार्यों के लिए कब उत्तरदायी होता है?

When is a principal bound by the unauthorised acts of his agent ?

--00--